रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 1992/चैत्र 6, 1914
No. 132] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1992/CHAITRA 6, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1992

सा.का.नि. 364 (अ) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा (132) 28/उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की /उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवमंगलूर पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, तथा अपील) प्रथम संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें ।

[फा.सं. पी.आर.-12012/11/91-पी.ई.-1]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, तथा अपील) विनियम-1992

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन केंद्र सरकार के अनुमोदन से नव मंगलौर पत्तन न्यास बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय राजपत्र असाधारण दिनांक 28 मार्च, 1980 में जी.एस.आर. 148 (ई) के तहत प्रकाशित नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1 (1) ये विनियम न.म.प. न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) प्रथम संशोधन, विनियम, 1992 कहलाएंगे ।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 के विनियम 4 में उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित होगा :

पदों का वर्गीकरण :—

(1) वे पद जिन आमतौर पर से ये विनियम लागू नहीं होते उन पदों को छोड़कर बोर्ड के अंतर्गत सभी पद निम्न प्रकार वर्गीकृत किए जाएंगे :—

श्रेणी 1 पद – अधिकतम वेतन रु. 4230 तथा इससे अधिक 1 (X)

श्रेणी 2 पद – अधिकतम वेतन रु. 2800 से अधिक लेकिन रु. 4150 से कम) (X)

श्रेणी 3 पद– अधिकतम वेतन रु. 1695/– से अधिक लेकिन रु. 2800 – से कम।

श्रेणी 4 पद – अधिकतम वेतन रु. 1695/– से कम।

(X) 1982 के वेतनमान।

सी.एस.डी. डब्ल्यू.आर.सी. वेतनमानों के संशोधन के कारण ऊपर निर्धारित वेतनमानों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसी के अनुरूप मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम की धारा 23 के तहत समय-समय पर संस्वीकृत कर्मचारियों की अनुसूची के अनुसार उपर्युक्त निर्धारित वेतनमानों में संशोधन कर लिए जाएंगे।

3. नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 के विनियम 7 में निम्नलिखित शर्त उप-विनियम 5 के तहत जोड़ी जाएगी।

"परन्तु यदि न्यायालय ने मामले के गुणों को देखे बिना केवल तकनीकी आधार पर कोई आदेश दिया है तो ऐसी स्थिति में किसी जांच का आदेश उस समय तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उक्त स्थिति पर विचार न कर लिया जाए।"

4. नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 के विनियम 8 को आखिरी दो पंक्तियों से पहली पंक्ति में आने वाले शब्द "अथवा कर्मचारी वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करेगा अथवा" के स्थान पर "उक्त अवधि समाप्त होने पर कटौती की जाएगी अथवा" शब्द जोड़े जाएंगे।

निम्नलिखित शर्त समाविष्ट की जाएगी।

"परन्तु एसे प्रत्येक मामले में जिसमें किसी कर्मचारी पर किसी कार्यालय कार्य करने अथवा तथ्यों का उल्लेख न करने के लिए किसी व्यक्ति से वैधानिक पारिश्रमिक के अलावा अपने उद्देश्य की पूर्ति अथवा पुरस्कार के रूप में कोई पारितोषण लेने का आरोप सिद्ध हो जाता है तो उस मामले में संबंधित व्यक्ति को उप-खंड (VIII) तथा (IX) में उल्लिखित दंड दिया जाएगा।

इसके अलावा यह शर्त होगी कि विशेष मामले तथा रिकार्ड किए विशेष कारणों के अधीन कोई अन्य दंड भी दिया जा सकता है।"

5. नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 के विनियम 10 के उप-विनियम (8) को संख्या खंड (ए) और निम्नलिखित को खंड (बी) के रूप में जोड़ा जाएगा :–

बोर्ड/सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश के जरिये निर्धारित शर्तों के अनुसार "(बी) कोई कर्मचारी अपना मामला प्रस्तुत करने के संबंध में सेवा निवृत्त कर्मचारी की भी सहायता ले सकता है।"

उप-विनियम (ii) के नीचे गई टिप्पणी की दूसरी तथा पांचवीं पंक्ति में आने वाले शब्द "गवाह" को "गवाहियां" पढ़ा जाए और पांचवीं पंक्ति में आने वाले के शब्द "की ओर से" "गवाही" और "का" शब्दों के बीच जोड़ें जाएंगे।

उप-विनियम 21 के उप-खंड (बी) में आने वाले सभी "गवाही" शब्दों को "गवाहियां" पढ़ा जाएगा।

उप-विनियम 22 में दूसरी लाइन के शब्द "मामले" को "छोड़ता है" (सीजेज) पढ़ा जाएगा।

6. नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 के विनियम 12 में उपविनियम (1) के उप-खंड (ए) में आने वाले शब्द "अभिकथनों" के स्थान पर "कदाचार या दुर्व्यवहार का आरोपण" शब्द आएंगे।

7. नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 के विनियम 15 में उप-खंड (ii) की दूसरी पंक्ति में आने वाला शब्द "हेल्ड" "होल्ड" पढ़ा जाए।

8. नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 के विनियम 17 में आने वाला "टू" शब्द "ड्राजिंग" और "इट" के बीच में जोड़ा जाएगा और उप-विनियम (2) के उप-खंड (ii) की चौथी पंक्ति में आने वाला "विद" शब्द हटा दिया जाएगा।

9. नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 के विनियम 21 में उप-खंड (सी) की पहली पंक्ति में आने वाले "सम्बंधित" और "टू" के बीच निम्नलिखित जोड़ा जाएगा। "अथवा उसकी नौकरी से पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तिथि से अथवा निचली सेवा, श्रेणी, पद, अथवा समयमान अथवा वेतन के समय मान में निचले स्तर तक पदावनत करने की तिथि से उसकी श्रेणी अथवा पद पर बहाली अथवा पुनः स्थापन की तिथि तक की अवधि के लिए।"

उक्त उप-खंड में आने वाले किसी कर्मचारी की उसकी सेवा-निवृत्ति पर "देन" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

निम्नलिखित उप-खंड (ई) के रूप में जोड़ा जाएगा।

"(ई) ऐसा आदेश जो--

(i) उसके वेतन, भत्ते, पेंशन अथवा नियमों द्वारा अथवा समझौते द्वारा नियमित अन्य सेवा शर्तों के प्रति नकारता हो अथवा उनसे भिन्न हो

(ii) किसी ऐसे नियम अथवा समझौते के प्रावधान के अहित में व्याख्या करता हो।"

10. नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 के विनियम 27 में उप-विनियम (2) के उप-खण्ड (सी) की पहली पंक्ति में आने वाले शब्द "रिवाइज" के स्थान पर "सेवर" पढ़ा जाएगा।

भाग-7

इस भाग का शीर्षक "समीक्षा" के स्थान पर "संशोधन" एवं "समीक्षा" होगा।

11. नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 के विनियम 29 का शीर्षक "समीक्षा" के बजाए "संशोधन" होगा।

उप-विनियम (1) में आने वाले "रिव्यू" शब्द "रिवाइज" पढ़े जाएंगे और "मेड अंडर दीज रेगुलेशन्स फ्राम विच" और "अपील" के बीच न आने वाला "नो" शब्द "दन" पढ़ा जाएगा।

इस उप-विनियम की पहली शर्त में आने वाले "रिव्यूविंग" तथा "रिव्यूड" शब्द क्रमशः "रिवाइजिंग" तथा "रिवाइज्ड" पढ़े जाएंगे।

इस उप-विनियम की दूसरी शर्त में आने वाला "रिव्यू" शब्द "रिवाइज" पढ़ा जाएगा और उप-खण्ड (i) में आने वाला "फिट" शब्द निकाल दिया जाएगा।

उप-विनियम (2) तथा (3) का "रिव्यू" शब्द "रिवाइज" पढ़ा जाएगा।

भाग vii के अन्तर्गत निम्नलिखित विनियम 29-ए के रूप में समाविष्ट किया जाएगा।

विनियम 29-ए-समीक्षा

जब कोई नई सूचना अथवा प्रमाण जो समीक्षाधीन आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका या वह उस समय उपलब्ध नहीं था और उससे मामले की प्रकृति ही बदल जाती है और यदि ऐसा मामला

केंद्र सरकार के नोटिस में आता है अथवा उसके सामने लाया जाता है तो वह किसी भी समय अपने निर्णय अथवा अन्य कारणों से इन विनियमों के अधीन पारित आदेश की समीक्षा कर सकती है ।

परन्तु केंद्र सरकार संबंधित कर्मचारी को प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का पर्याप्त अवसर दिए बिना दंड अधिरोपित करने अथवा उसमें बढ़ोतरी करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं करेगी अथवा यदि विनियम 8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बड़े दंडों में से कोई दंड अधिरोपित करने का प्रस्ताव है अथवा समीक्षा किए जा रहे आदेश द्वारा अधिरोपित छोटे दंड को बड़े दंड में बदलने का प्रस्ताव है और यदि मामले को विनियम 10 के तहत पहले जांच नहीं कराई गई है तो विनियम 15 के प्रावधान के अधीन विनियम 10 में निर्धारित पद्धति के अनुसार जांच कराए बिना कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

12. नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 के विनियम 31 में चौथी पंक्ति में आने वाले शब्द "एक्सटेंट" को "एक्सटेंड" पढ़ा जाएगा ।

मुख्य विनियम :-

जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय (परिवहन विंग) जी. एस. आर. 148 (ई) के तहत अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 1980.

बी. मेहरोत्रा, अध्यक्ष

प्रशासनिक अधिकारी,
नव मंगलौर पत्तन न्यास,
पेनम्बूर, मंगलौर-575010

नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 का संशोधन

क्रम संख्या	विनियम जिसमें संशोधन प्रस्तावित है	नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1980 का मूल प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
1	2	3	4	5
	विनियम 4	पदों का वर्गीकरण :—(1) सामान्यतः जिन पदाधिकारियों पर ये विनियम लागू नहीं होते उन्हें छोड़कर बोर्ड के अन्य सभी पद निम्न प्रकार वर्गीकृत किए जाएंगे :— श्रेणी-I पद :—अधिकतम वेतन 1300 से कम न हो । श्रेणी-II पद :—अधिकतम वेतन रु. 900 अथवा अधिक लेकिन रु. 1300 से कम श्रेणी-III पद :—अधिकतम वेतन रुपये 290 अथवा अधिक लेकिन रुपये 900 से कम श्रेणी-IV पद :—अधिकतम वेतन रुपये 290 से कम न हो ।	पदों का वर्गीकरण :—(1) सामान्यतः जिन पदाधिकारियों पर ये विनियम लागू नहीं होते उन्हें छोड़कर बोर्ड के सभी पद निम्न प्रकार वर्गीकृत किए जाएंगे :— श्रेणी-I पद :—अधिकतम वेतन रुपये 4230 और इससे अधिक श्रेणी-II पद :—अधिकतम वेतन रुपये 2800 और इससे अधिक लेकिन रु. 4230 से कम श्रेणी-III पद :—अधिकतम वेतन रु. 1695 और इससे अधिक रु. 2800 से अधिक नहीं होना चाहिए । श्रेणी-IV पद :—अधिकतम वेतन रु. 1695 से अधिक नहीं होगा । सी.एस.डी./डब्ल्यू.आर.सी. के वेतनमानों के संशोधन के कारण ऊपर निर्धारित वेतनमानों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसी के अनुसार मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम की धारा 23 के तहत समय-समय पर संस्वीकृत कर्मचारियों की अनुसूची के अनुसार उपर्युक्त निर्धारित वेतनमानों में भी संशोधन कर लिये जायेंगे ।	यह संशोधन मंत्रालय पत्र सं. 1-27/2/86-पी.ई-1 दिनांक 12 नवम्बर, 1986 के निर्देशानुसार प्रस्तावित किया गया है ।
	विनियम 7	(5) यदि किसी कर्मचारी पर अधिरोपित पदच्युति, निष्कासन अथवा सेवा से अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति संबंधी दंड न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप अथवा निर्णय द्वारा अपास्त किया जाता है अथवा अवैध ठहराया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् उन आरोपों के संबंध में पुनः जांच करने का निर्णय ले सकता है जिनके आधार पर पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति संबंधी दंड मूलतः अधिरोपित किया गया था और पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से संबंधित कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी	परन्तु यदि न्यायालय ने मामले के गुणों पर ध्यान दिये बिना तकनीकी आधारों पर आदेश पारित	यह संशोधन मंत्रालय के पत्र सं. 1-27/2/86-पी ई-1 दिनांक 12 नवम्बर, 1986 के निर्देशानुसार प्रस्तावित किया गया है ।

1	2	3	4	5
		जिसे ऐसा करने का अधिकार है, द्वारा निलंबित माना जायेगा और अगले आदेश जारी होने तक निलंबित रहेगा।	कर दिया है और जब तक ऐसी परिस्थिति से निपटने का निर्णय न ले लिया जाये तब तक अगली जांच के आदेश नहीं दिये जायेंगे।	
विनियम 8		अन्य दंड :—(v) एक निर्धारित अवधि के लिए किसी कर्मचारी को वेतन के समय-मान के निचले स्तर तक उतार देना और साथ ही यह निर्देशन देना कि उक्त अवधि के दौरान उस कर्मचारी को वेतन-वृद्धि दी जाएगी अथवा नहीं दी जायेगी अथवा क्या उक्त कर्मचारी को वेतन-वृद्धि नहीं दी जायेगी और क्या उसकी भावी वेतन-वृद्धि मुल्तवी रखी जायेगी अथवा मुल्तवी नहीं रखी जायेगी।	(v) एक निर्धारित अवधि के लिए वेतन समय-मान के निचले स्तर तक कम करना और साथ ही यह निर्देश देना कि उक्त अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी को वेतन वृद्धि दी जाएगी अथवा नहीं दी जायेगी उक्त अवधि की समाप्ति पर उक्त कमी से उसकी अगली वेतन-वृद्धि को मुल्तवी रखा जायेगा अथवा मुल्तवी नहीं रखा जायेगा।	यह संशोधन मंत्रालय के पत्र सं. 1-27/2/86-पी. ई.-1 दिनांक 12 नवम्बर, 1986 के निर्देशानुसार प्रस्तावित किया गया है।
			परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें किसी कर्मचारी द्वारा कार्यालयी कार्य करने अथवा तथ्यों का उल्लेख न करने के लिये किसी व्यक्ति से वैधानिक पारिश्रमिक के अलावा अपने उद्देश्य की पूर्ति अथवा पुरस्कार के रूप में कोई परितोषण लेने का आरोप सिद्ध हो जाता है तो उस मामले में संबंधित कर्मचारी को उप-खण्ड (viii) तथा (ix) में उल्लिखित दंड दिया जायेगा।	
			इसके अलावा यह शर्त होगी कि विशेष मामले तथा रिकार्ड किये विशेष कारणों के अधीन अन्य दण्ड भी दिया जा सकता है।	
विनियम 10		(8) कोई भी कर्मचारी अपना मामला प्रस्तुत करने के लिये अन्य कर्मचारियों की सहायता ले सकता है लेकिन वह इस कार्य के लिये किसी वकील की सेवाएं उस समय तक नहीं ले सकेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ही वकील न हो अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करने की अनुमति न दे।	(8) कोई भी कर्मचारी अपना मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकता है लेकिन वह इस कार्य के लिये वकील की सेवाएं उस समय तक नहीं ले सकता जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी या वकील न हो अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करने की अनुमति न दे।	
			(क) बोर्ड/सरकार द्वारा समय समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश के जरिये निर्धारित शर्तों के अनुसार कोई कर्मचारी अपना मामला प्रस्तुत करने के लिये सेवा-निवृत्त कर्मचारी की भी सहायता ले सकता है।	
		टिप्पणी :—यदि कर्मचारी मौखिक अथवा लिखित रूप में उप-विनियम (3) में दी गई सूची में उल्लिखित गवाह के कथनों की प्रतियों के लिए आवेदन करते हैं तो जांच करने वाला प्राधिकारी उक्त प्रतियां जितना संभव हो, शीघ्रातिशीघ्र और किसी भी स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकारी के गवाह की जांच प्रारंभ होने पूर्व तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराएगा।	टिप्पणी :—यदि कर्मचारी मौखिक अथवा लिखित रूप में उप-विनियम (3) में दी गई सूची के उल्लिखित गवाहों के कथनों की प्रतियों के लिये आवेदन करता है तो जांच करने वाला प्राधिकारी उक्त प्रतियां जितना संभव हो शीघ्रातिशीघ्र और किसी भी स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकारी के गवाहों की जांच प्रारंभ होने से पूर्व तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराएगा।	यह संशोधन मंत्रालय के पत्र सं. 1-27/2/86-पी ई-1 दिनांक 12 नवम्बर, 1986 के निर्देशानुसार प्रस्तावित किया गया है।
		(21)(बी) अनुशासनिक प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए रिकार्ड के आधार पर कार्यवाही कर सकता है अथवा यदि न्याय की दृष्टि से वह गवाहों में से किसी गवाह की दोबारा जांच कराना अनिवार्य समझता है तथा गवाह की परीक्षा, प्रति परीक्षा एवं पुनःपरीक्षा कर सकता है और	(21)(बी) अनुशासनिक प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए रिकार्ड के आधार पर कार्यवाही कर सकता है अथवा यदि न्याय की दृष्टि से वह गवाहों में से किसी गवाह की दोबारा जांच कराना अनिवार्य समझता है तो वह गवाह को पुनः बुला सकता है तथा गवाह की परीक्षा, प्रति	

1	2	3	4	5
		इन विनियमों के अधीन संबंधित कर्मचारी के लिये ऐसा दंड निर्धारित कर सकता है जिसे वह उचित मानता हो।	परीक्षा एवं पुनः परीक्षा कर सकता है और इन विनियमों के अधीन संबंधित कर्मचारी के लिए ऐसा दंड निर्धारित कर सकता है जिसे वह उचित मानता हो।	
		(22) जब कभी कोई जांच प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करने हेतु जांच संबंधी अथवा उसके एक भाग का रिकार्ड कर लेता है और उसके बाद उसके स्थान पर समान अधिकारों तथा उनका प्रयोग करने वाला दूसरा जांच प्राधिकारी आ जाता है तो बाद में आने वाला जांच प्राधिकारी अपने पूर्वाधिकारी अधिकारी द्वारा रिकार्ड की गई, अपने पूर्वाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से रिकार्ड की गई तथा स्वयं के द्वारा आंशिक रूप से रिकार्ड की गई गवाही के आधार पर कार्यवाही कर सकता है।	(22) जब कभी कोई जांच प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करने हेतु जांच संबंधी मामलों में गवाह की सुनवाई तथा सम्पूर्ण कार्यवाही अथवा उसके एक भाग का रिकार्ड कर लेता है और उसके बाद उसके स्थान पर समान अधिकारों तथा उनका प्रयोग करने वाला जांच प्राधिकारी आ जाता है तो बाद में आने वाला जांच प्राधिकारी अपने पूर्वाधिकारी द्वारा रिकार्ड की गई, अपने पूर्वाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से रिकार्ड की गई तथा स्वयं के द्वारा रिकार्ड की गई गवाही के आधार पर कार्यवाही कर सकता है।	
विनियम 12		लघु दंड निर्धारित करने की प्रक्रिया		
		(1) (ए) कर्मचारी को उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के प्रस्ताव और आरोपों जिसके आधार पर उक्त कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, के संबंध में लिखित सूचना देना और उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर देना।	(1) (ए) कर्मचारी को उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के प्रस्ताव और आरोपों जिसके आधार पर उक्त कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, के संबंध में लिखित सूचना देना और उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर देना।	यह संशोधन मंत्रालय के पत्र सं. 1-27/2/86-पी ई-1 दिनांक 12 नवम्बर, 1986 के निर्देशानुसार प्रस्तावित किया गया है।
विनियम 15		विशिष्ट मामलों में विशेष प्रक्रिया		
		(ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी अपने द्वारा रिकार्ड किए गए कारणों से संतुष्ट हो कि इन विनियमों की पद्धति से जांच करना व्यवहारिक नहीं है।	(ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी अपने द्वारा रिकार्ड किए गए कारणों से संतुष्ट हो कि इन विनियमों की पद्धति से जांच करना व्यवहारिक नहीं है।	
विनियम 17		बोर्ड में उधार आए प्रधिकारियों सम्बन्धी प्रावधान		
		(2) (ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह मत है कि संबंधित कर्मचारी पर विनियम 8 के खण्ड (v) से (ix) के अन्तर्गत निर्धारित दंडों में से कोई दंड अधिरोपित किया जाना चाहिए, तो मामले के निपटान के लिए उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के अधीन वापस की जाएगी और सारे मामले को जांच की कार्यवाही के साथ उचित कार्यवाही के लिए उक्त प्राधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा।	(2) (ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह मत है कि संबंधित कर्मचारी पर विनियम 8 के खण्ड (v) से (ix) के अन्तर्गत निर्धारित दंडों में से कोई दंड अधिरोपित किया जाना चाहिए, तो मामले के निपटान के लिये उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के अधीन वापस की जाएगी और सारे मामले को जांच की कार्यवाही के साथ उचित कार्यवाही के लिए उक्त प्राधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा।	
विनियम 21		दूसरे मामलों में अपील		
		(सी) कर्मचारी की बहाली के समय निलंबन की अवधि के लिये दिये जाने वाले वेतन व भत्तों का निर्धारण करना अथवा इस बात का निश्चय करना कि क्या ऐसी अवधि को किसी उद्देश्य हेतु ड्यूटी अवधि माना जाएगा अथवा नहीं ; और (डी) उच्च ग्रेड अथवा पद पर स्थानापन्न कर्मचारी को दंड स्वरूप निचले ग्रेड अथवा पद पर पदावनत करना ;	(सी) निलंबन की अवधि अथवा पदच्युति, निष्कासन अथवा सेवा से अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तिथि से, अथवा निचली सेवा, श्रेणी, पद, समय-मान अथवा वेतन के समय-मान के स्तर तक कम कर देने की तिथि से ग्रेड अथवा पद पर बहाली या पुनः स्थापन की तिथि तक की अवधि के लिये वेतन तथा भत्तों का निर्धारण करना अथवा यह निश्चित करना कि क्या वह अवधि किसी उद्देश्य हेतु ड्यूटी की अवधि मानी जाएगी अथवा नहीं ; और (ई) यह आदेश जो— (i) कर्मचारी को उसके वेतन, भत्ते पेंशन अथवा	यह संशोधन मंत्रालय के पत्र सं. 1-27/2/86-पी ई-1 दिनांक 12 नवम्बर, 1986 के निर्देशानुसार प्रस्तावित किया गया है।

1	2	3	4	5
			समझौते द्वारा नियमित दूसरी सेवा शर्तों के लिये हानिकारक अथवा उनके विपरीत है; अथवा (ii) ऐसे नियम अथवा समझौते के प्रावधान के प्रति हानि पहुंचाता है।	
विनियम 27		अपील पर विचार. (2) (सी) क्या अधिरोपित दंड पर्याप्त, अपर्याप्त है अथवा कठोर है और क्या आदेश पारित कर दिए जाएं।	2 (सी) क्या अधिरोपित दंड पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है और क्या आदेश पारित किए जाए :	
विनियम 29		खण्ड VII—समीक्षा	खण्ड–VII—संशोधन एवं समीक्षा	यह संशोधन मंत्रालय के पत्र सं० I/27/2/86 पी ई दिनांक 12 नवम्बर, 1986 के निर्देशानुसार प्रस्तावित किया गया है
		समीक्षा : (i) इन विनियमों में कोई भी प्रावधान होते हुए :	संशोधन (i) इन विनियमों में कुछ भी होते हुए :—	
		(1) केन्द्र सरकार अथवा	(1) केन्द्र सरकार, अथवा	
		(2) बोर्ड; अथवा	(2) बोर्ड; अथवा	
		(3) अध्यक्ष; अथवा	(3) अध्यक्ष; अथवा	
		(4) अपील-प्राधिकारी, आदेशों की समीक्षा के प्रस्तावों की तारीख से 6 महीने की अवधि के दौरान; अथवा	(4) अपील, प्राधिकारी, आदेशों की समीक्षा के प्रस्तावों की तारीख से 6 महीने की अवधि के दौरान, अथवा	
		(5) बोर्ड द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश से नियत कोई दूसरा प्राधिकारी, उस अवधि के दौरान, जो सामान्य अथवा विशेष आदेश में निर्धारित की गई है।	(5) बोर्ड द्वारा सामन्य अथवा विशेष आदेश से नियत कोई दूसरा प्राधिकारी उस अवधि के दौरान जो सामान्य अथवा विशेष आदेश में निर्धारित की गई है।	
		किसी भी समय अपने निर्णय अथवा अन्य कारणों से किसी जांच से संबंधित रिकार्ड मंगा सकता है और इन विनियमों के तहत जारी किए गए किसी ऐसे आदेश की समीक्षा कर सकता है जिसके अन्तर्गत अपील करने की अनुमति नहीं है लेकिन केन्द्र सरकार के परामर्श जहां ऐसा परामर्श लेना अनिवार्य हो, से कोई अपील नहीं की गई है अथवा अपील की अनुमति नहीं दी गई है, और वह निम्न कार्य भी कर सकता है :—	किसी भी समय अपने निर्णय अथवा अन्य कारणों से किसी जांच से संबंधित रिकार्ड मांग सकता है और इन विनियमों के तहत जारी किए गए किसी ऐसे आदेश की समीक्षा कर सकता है जिसके अन्तर्गत अपील करने की अनुमति नहीं है, लेकिन केन्द्र सरकार के परामर्श, जहां ऐसा परामर्श लेना अनिवार्य हो, से कोई अपील नहीं की गई है अथवा अपील की अनुमति नहीं दी गई है, और वह निम्न कार्य भी कर सकता है :—	
		(क) आदेश की पुष्टि, संशोधन अथवा अपास्त करना अथवा या	(क) आदेश की पुष्टि, संशोधन अथवा अपास्त करना, अथवा	
		(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित दंड की पुष्टि कम करना, बढ़ाना अथवा अपास्त करना अथवा यदि आदेश द्वारा दंड नहीं दिया गया है तो दंड का अधिरोपण; अथवा	(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित दंड की पुष्टि, कम करना, बढ़ाना अथवा अपास्त करना अथवा यदि आदेश द्वारा दंड नहीं दिया गया है तो दंड का अधिरोपण; अथवा	
		(ग) मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आगे जांच के निर्देश देकर मामले को आदेश देने वाले प्राधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी को प्रेषित करना, अथवा	(ग) मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आगे जांच के निर्देश देकर, मामले को आदेश देने वाले प्राधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी को प्रेषित करना, अथवा	
		(घ) अन्य ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझता हो।	(घ) अन्य ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझता हो।	
		परन्तु शर्त होगी कि समीक्षा करने वाला प्राधिकारी दंड अधिरोपित करने	परन्तु शर्त होगी कि समीक्षा करने वाला प्राधिकारी दंड अधिरोपित करने	यह संशोधन मंत्रालय के पत्र सं. I-27/2/86

1	2	3	4	5
		अथवा उसे बढ़ाने के संबंध में उस समय तक कोई आदेश नहीं देगा जब तक संबंधित कर्मचारी को प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है और यदि विनियम 7 के खंड (v) से (ix) तक निर्धारित दंडों में से कोई दंड देने का प्रस्ताव है अथवा उक्त खंडों में निर्धारित दंडों के संबंध में समीक्षाधीन आदेश में अधिरोपित दंड को बढ़ाने का प्रस्ताव है तो संबंधित कर्मचारी को विनियम 10 में निर्धारित पद्धति से जांच कराए बिना और जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताओ संबंध में पर्याप्त अवसर दिए बिना और यदि आवश्यक हो तो केन्द्र सरकार से परामर्श लिए बिना कोई दंड नहीं दिया जाएगा।	उसे बढ़ाने के संबंध उस समय तक कोई आदेश नहीं देगा जब तक संबंधित कर्मचारी को प्रस्तावित दंड विरुद्ध अभ्यावेदन देने का पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है और यदि विनियम 8 के खंड (v) से (ix) तक निर्धारित दंडों में कोई दंड देने का प्रस्ताव है अथवा उक्त खंडों में निर्धारित दंड को बढ़ाने का प्रस्ताव है तो संबंधित कर्मचारी को विनियम 10 में निर्धारित पद्धति से जांच कराए बिना और जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताओ संबंध में पर्याप्त अवसर दिए बिना और यदि आवश्यक हो तो केन्द्र सरकार से परामर्श लिए बिना कोई दंड नहीं दिया जाएगा।	पी ई.-I दिनांक 12 नवम्बर, 1986 के निर्देशानुसार प्रस्तावित किया गया है।
		इसके अतिरिक्त यह भी शर्त होगी कि अध्यक्ष अथवा अन्य प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो उप विनियम (1) के खंड-(iv) में निर्धारित समीक्षा के अधिकार का प्रयोग उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि—	इसके अतिरिक्त यह भी शर्त होगी कि अध्यक्ष अथवा अन्य प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो, उप विनियम (1) के खंड (iv) में निर्धारित समीक्षा के अधिकार का प्रयोग उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि—	
		(i) अपील के संबंध में आदेश देने वाला प्राधिकार उसे उचित ठहराए, अथवा	(i) अपील के संबंध में आदेश देने वाला प्राधिकारी, अथवा	
		(ii) जिस मामले में अपील नहीं की गई है वहां जिस प्राधिकारी के पास अपील जाएगी वह उसका अधीनस्थ हो।	(ii) जिस मामले में अपील नहीं की गई है वहां जिस प्राधिकारी के पास अपील जाएगा वह उसका अधीनस्थ हो।	
		(2) समीक्षा कार्यवाही उस समय तक प्रारम्भ नहीं की जाएगी जब तक कि—	(2) संशोधन संबंधी कार्यवाही उस समय तक प्रारम्भ ही की जाएगी जब तक कि—	
		(i) अपील के लिए निर्धारित अवधि समाप्त नहीं होती; अथवा	(i) अपील की सूचना की अवधि समाप्त नहीं होती;	
		(ii) यदि अपील की गई है तो जब तक उसका निपटान नहीं होता।	(ii) यदि अपील की गई है तो जब तक उसका निपटान नहीं हो जाता।	यह संशोधन मंत्रालय के पत्र सं. आई-27/2/86-पी ई-I दिनांक 12 नवम्बर, 1986 के निर्देशानुसार प्रस्तावित किया गया है।
		(3) समीक्षा के आवेदन पर इन विनियमों के अधीन अपील मानकर कार्यवाही की जाएगी।	(3) संशोधन के आवेदन पर इन विनियमों के अधीन अपील मानकर कार्यवाही की जाएगी।	
			29-ए. समीक्षा	
			जब कोई नई सूचना अथवा प्रमाण जो समीक्षाधीन आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था वह उस समय उपलब्ध नहीं था और उससे मामले की प्रकृति ही बदल जाती है और यदि ऐसा मामला केन्द्र सरकार के नोटिस में आता है अथवा उसके सामने लाया जाता है तो वह किसी भी समय अपने निर्णय से अथवा अन्य कारणों से इन विनियमों के अधीन पारित आदेश की समीक्षा कर सकती है:	

1	2	3	4	5
			परन्तु केन्द्र सरकार संबंधित कर्मचारी को प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का पर्याप्त अवसर दिए बिना दंड अधिरोपित करने अथवा उसमें बढ़ोतरी करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं करेगी अथवा यदि विनियम 8 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट बड़े दंडों में से कोई दंड अधिरोपित करने का प्रस्ताव है अथवा समीक्षा किए जा रहे आदेश द्वारा अधिरोपित दंड को बड़े दंड में बदलने का प्रस्ताव है और यदि मामले की विनियम 10 के तहत पहले जांच नहीं कराई गई है तो विनियम 15 के प्रावधान के अधीन विनियम 10 में निर्धारित पद्धति के अनुसार जांच कराए बिना कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।	
विनियम 31	किसी समय सीमा में छूट देने और विलम्ब करने का अधिकार —	31 समय सीमा तथा विलंब माफ करने का अधिकार :—		
	इन विनियमों में स्पष्ट रूप से दिए गए अन्य कारणों के सिवाय, इन विनियमों के तहत आदेश जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी सदैव के लिए तथा पर्याप्त कारणों से अथवा यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया है तो इन विनियमों के अधीन अपेक्षित कार्य करने के लिए निर्धारित समय सीमा में छूट दे सकता है अथवा विलंब को माफ कर सकता है।	इन विनियमों में स्पष्ट रूप से दिए गए अन्य कारणों के सिवाय, इन विनियमों के तहत जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी सदैव के लिए तथा पर्याप्त कारणों से अथवा इन विनियमों के अधीन अपेक्षित कार्य करने के लिए निर्धारित समय सीमा में छूट दे सकता है अथवा विलंब माफ कर सकता है।		यह संशोधन मंत्रालय के पत्र सं० आई-27/2/86 पी. ई. I दिनांक 12 नवम्बर 1986 के निर्देशानुसार प्रस्तावित किया गया है।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 1992

G.S.R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) First Amendment Regulations, 1992 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and set out in the Schedule annexed to this notification.

(ii) The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. PR-12012|12|91|PEI]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

DRAFT NEW MANGALORE PORT TRUST EMPLOYEES (CLASSIFICATION CONTROL AND APPEAL) REGULATIONS, 1992

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the New Mangalore Port Trust Board hereby makes, subject to the approval of the Central Government, under Section 124 of the above Act, the following Regulations to amend the New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1980 (Published as GSR 148 (E) in the Gazette of India, Extraordinary 28th March, 1980.

1. (1) These Regulations may be called NMPT Employees (Classification, Control and Appeal) First Amendment Regulations, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

(3) In Regulation 4 of New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1980, the Sub-Regulation (1) shall be substituted as follows :

Classification of posts :—

(1) All posts under Board other than those Ordinarily held by persons to whom these Regulations do not apply, shall be classified as follows :—

Class I posts—Scale carrying maximum of Rs. 4230 and above.

Class II posts—Scale carrying a maximum which exceeds Rs. 2800 but is less than Rs. 4150.

Class III posts—Scale carrying a maximum exceeding Rs. 1695 but is **not** more than Rs. 2800.

Class IV posts—Scale carrying a maximum which does not exceed Rs. 1695.

Any changes in the Pay Scales prescribed above due to revision of OSD|WRC seales resulting in corresponding changes then the scales as prescribed above shall stand modified as per the Schedule of Employees sanctioned from time to time under Sec. 23 of M P.T. Act.

3. In Regulation 7 of New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulation 1980, the following proviso shall be inserted under Sub-Regulation 5.

"Provided that no such further enquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the Court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case".

4. In Regulation 8 of the New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1980 the words "or not the employee will earn increments will or" coming in the last but two lines of Sub-Regulation (v) shall be substituted by the words "on the expiry of such period, the reduction will or".

The following proviso shall be introduced :

"Provided that, in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratifieation, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or for bearing to do any official act is established, the penalty mentioned in Sub-Clause (viii) or (ix) shall be imposed.

Provided further that in any exceptional ease and for special reasons recorded in writing any other penalty may be imposed".

5. In Regulation 10 of New Mangalore Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations 1980 the existing Sub-Regulation (8) shall be numbered as Clause (a) and the following shall be inserted as Clause (b).

"(b) The employee may also take the assistanee of a retired employee to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the Board|Govt. from time to time by general or special order in this behalf".

In the note under Sub-Regulation (11) the words 'witness' occurring in the second and fifth line shall be read on "witnesses" and the words "on behalf" shall be inserted betwcen the words "witness" and "of" coming in thc fifth line.

In Sub-clause (b) of Sub-Regulation 21 the words "Witness" wherever occurring shall bc read as "Witnesses".

In Sub-Regulation 22 the words "cases" occurring in thc second line shall be read as "ceases".

6. In Regulation 12 of New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations 1980, the words "allegations" coming in Sub-clause (a) of Sub-Regulation (1) shall be substituted as "imputations of misconduct or misbehaviour".

7. In Regulation 15 of New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulaions 1980 the word "held" coming in the second line of sub-clause (ii) shall be read as 'hold'.

8. In Regulation 17 of New Mangalore Porst Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1980, the word "to" shall be inserted between the words "transmit" and "it" and the word "with" occurring in the fourth line of sub-clause (ii) of Sub-Regulation (2) shall be deleted.

9. In Regulation 21 of New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1980, the following shall be inserted between the words "suspension" and "to" occurring in the first line of Sub-clause (c).

"Or for the period from the date of his dismissal, removal, or compulsory retirement from service or from the date of his reduction to a lower service, grade, post, time scale or stage in a time scale of pay to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post".

The words "to be paid to an employees on his reinstatement" coming in the same sub-clause shall be deleted.

The following shall be added as Sub-clause (e).
"(e) an order which

(i) denies or varies to his disadvantage his pay, allowance, pension or other conditions of service as regulated by rules or by agreement Or

(ii) interprets to his disadvantage the provision of any such rule or agreement".

10. In Regulation 27 of New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) the word "revise" occurring in the first line of sub-clause (c) of sub-Regulation (2) shall be read as "severe".

PART VI

The title of this part shall be substituted as "Revision and Review" instead of "Review".

11. The title of the Regulation 29 of New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1980 shall be named as "Revision" instead of "Review".

The words "Review" occurring in sub-regulation (1) shall be read as "revise" and the word "no" occurring between the words "made under these Regulations from which" and "appeal" shall be read as "an".

The words "reviewing" and "reviewed" coming in the first proviso of this sub-regulation shall be read as "revising" and "revised" respectively.

The word "review" occurring in the second proviso of this sub-Regulation shall be read as "revise" and the word "fit" occurring in the Sub-Clause (i) shall be deleted.

In Sub-Regulations (2) and (3) the word "review" shall be read on "revise".

The following shall be introduced as Regulation 29-A under Part VII.

REGULATION 29-A—REVIEW :

The Central Government may, at any time, either on its own motion or otherwise review any order passed under these regulations, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to its notice :

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the Central Government unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in Regulation 8 or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the major penalties and if an enquiry under Regulation 10 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after enquiring in the manner laid down in Regulation 10 subject to the provision of Regulation 15".

12. In Regulation 31 of New Mangalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1980, (Part VIII) the words "extent" occurring in the fourth line shall be read as "extend".

Principal Regulations :

Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) Notification at GSR 148(E) dated 28th March, 1980.

B. MAHAPATRA, Chairman

Administrative Office,
New Mangalore Port Trust
Panambur, Mangalore-575010.

AMENDMENT TO NEW MANGALORE PORT TRUST EMPLOYEES (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) REGULATIONS, 1980

Sl. No.	Regulation to which amenment is proposed.	Original provision in the New Managalore Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations 1980	Amendment proposed.	Justification
1	2	3	4	5
	Regulation 4	Classification of posts:—(1) All posts under Board other than those ordinarily held by persons to whom these regulations do not apply shall be classified as follows:—	Classification of Posts: (1) All posts under Board other than those ordinarily held persons to whom these regulations do not apply, shall be classified as follows:—	This amendment has been proposed as directed by the Ministry vide their letter No 1-27/2/86-PE.I, dt. 12th Nov. 1986.
		Class I posts:—Scale carrying a maximum of not less than Rs. 1300.	Class I Posts:—Scale carrying a maximum of Rs. 4230 and above.	
		Class II posts:—Scale carrying a maximum of Rs. 900 and above but below Rs. 1300.	Class II posts:—Scale carrying a maximum which exceeds Rs. 2800 but less than Rs. 4230	
		Class III Posts:—Scale carrying a maximum of Rs. 290 and above but below of Rs. 900.	Class III Posts:—Scale carrying a maximum exceeding Rs. 1,695 but not more than Rs. 2,800	
		Class IV posts.—Scale carrying a maximum of less than Rs. 290	Class IV Posts:—Scale carrying a maximum which does not exceeds Rs. 1,695.	
			"Any changes in the Pay Scales prescribed above due to revision of OSD/WRC scales resulting in corresponding changes then the scales as prescribed above shall stand modified as per the Schedule of Employees sanctioned from time to time under Sec. 23 of M.P.T. Act".	

1	2	3	4	5
	Regulation 7	(5) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of, or by, a decision of a court of law, and the disciplinary authority on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismisal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the authority competent to do so from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.		This amendment has been proposed as directed by the Ministry vide their letter No. 1-27/2/86-PE.I, dt. 12th Nov. 1986.
			Provided that no such further enquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case.	
	Regulation 8	Major Penalties:—(v) Reduction to a lower stage in a time-scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether or not the employee will earn increments will or will not have effect of postponing the future increments of his pay.	(v) Reduction to a lower stage in a time-scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;	
			Provided that, in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing of for-bearing to do any official act is established, the penalty mentioned in Sub-clause (VIII) and (IX) shall be imposed:	
			Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing, any other penalty may be imposed.	This amendment has been proposed as directed by the Ministry vide their letter No. I-27/2/86-PE-I, dt. 12th Nov. 1986.
	Regulation 10	(8) The employees may take the assistance of any other employees to present the case on his behalf but shall not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner or the disciplinary authority having regard to the circumstances of the case, so permits.	(8)(a) The employee may take the assistance of any other employee to present the case on his behalf, but shall not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner or the disciplinary authority having regard to the circumstances of the case, so permits.	
			(b) The employees may also take the assistance of a retired employee to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time by general or special order in this behalf.	

1	2	3	4	5
		(11) Note : If the employees applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witness mentioned in the list referred to in sub-regulation (3) the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of the witness of the disciplinary authority.	Note : If the employee applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-regulation (3), the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the disciplinary authority.	This amendment has been proposed as directed by the Ministry vide their letter No. I-27/2/86-P.E. I,dt. 12th Nov. 1986.
		(21) (b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice, recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witness and may impose on the employee such penalty as it may deem fit in accordance with these regulations.	(21) (b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the wintesses is necessary in the interests of justice, recall the witnesses and examine, cross examine and re-examine the witnesses and may impose on the employee such penalty as it may deem fit in accordance with these regulations.	
		(22) Whenever any inquiring authority after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry cases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has and which exercises, such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself :	(22) Whenever any inquiring authority after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry cases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has and which exercises such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself.	
Regulation 12		Procedure for Imposing Minor Penalties :		
		(1) (a) Informing in writing the employee of the proposal to take action against him and of the allegations on which it is proposed to be taken and giving him an opportunity to make any representation he may wish to make against the proposal.	1 (a) Informing in writing the employee of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken and giving him an opportunity to make any representation he may wish to make against the proposal;	This amendment has been proposed as directed by the Ministry vide their letter No. I-27/2/86-P.E. I, dt. 12th Nov., 1986.
Regulation 15		Special Procedure in certain cases :		
		(ii) Where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to held an inquiry in the manner provided in these regulations; or	(ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these regulations ; or	
Regulation 17		Provisions regarding Officers borrowed by the Board :—		
		(2) (ii) If the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in Clause (v) to (ix) of regulation 8 should be imposed on the employee it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit it with the proceedings of the inquiry for such action as it deems necessary.	(2) (ii) If the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8 should be imposed on the employee it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it deems necessary.	

1	2	3	4	5
Regulation	21	Appeals in other cases :		
		(c) Determining the pay and allowances for the period of suspension to be paid to an employee on his reinstatement or determining whether or not such period shall be treated as a period spent on duty for any purpose; and (d) reverting to a lower grade or post an employee officiating in a higher grade or post otherwise than as a penalty;	(c) determining the pay and allowances for the period of suspension or for the period from the date of his dismissal, removal, or comulpsory retirement from service or from the date of his reduction to a lower service, grade, post, time scale or stage in a time scale of pay to the date of his reinstatement of restoration to his grade or post or determining whether or not such period shall be treated as a period spent on duty for any purpose; and (e) an order which; (i) denies or varies to his dis-advantage his pay, allowance, pension or other conditions of service as regulated by rules or by agreement or (ii) interprets to his disadvantage the provision of any such rule or agreement.	This amendment has been proposed as directed by the Ministry vide their letter No. I-27/2/86-PE. I, dt. 12th Nov., 1986.
Regulation	27	Consideration of appeal ;		
		(2) (c) whether the penalty imposed is adequate, inadequate or revise and pass orders—	(2) (c) whether the penatly imposed is adequate, inadequate or severe and pass orders—	
Regulation	29	PART VII—Review : Review : (1) Notwithstanding anything contained in these regulations :— (i) the Central Government; or (ii) the Board ; or (iii) the Chiarman; or (iv) the appellate authority, within six months of the date of the orders proposed to be reviewed; or (v) any other authority, specified in this behalf by the Board by a general or special orders, and within such time as may be prescribed in such general or special order; may at any time either on his or its own motion or otherwise call for the records of any inquiry and review any order made under these regulations from which no appeal is allowed, but appeal has been preferred or from which no appeal is allowed after consultation with the Central Government where such consultations is necessary, and may :— (a) confirm, modify or set aside the order; or (b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has heen imposed or	Part VII–Revision and Revlew Revision : (i) Nothwithstanding anything contained in these regulations:— (i) the Central Government; or (ii) the Board; or (iii) the Chairman; or (iv) the appellate authority, within six months of the date of the orders proposes to be reviewed; or (v) any other authority, specified in this behalf by the Board by a general or special order, and within such time as may be prescribed in such general or special order, and within such time as may be prescribed in such general or special order : may at any time either on his or its own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these reuglations from which an appeal is allowed, but no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed after consultation with the Central Government where such consultation is necessary, and may :— (a) confirm, modify or set aside the order; or (b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has ben imposed; or	This amendment has been proposed as directed by the Ministry vide their letter No. I–27/2/86/P.E. I, dt. 12th Nov. 1986.

1	2	3	4	5
		(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case, or	(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or	
		(d) Pass such other orders as it may deem fit;	(d) pass such other order as it may deem fit.	
		Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any reviewing authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in Clause (V) to (IX) of regulation 8 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the penalties specified in the said clauses; no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in regulation 10 and after giving a reasonable opportunity to the employee concerned of showing cause against the penalty proposed on the evidence adduced during the inquiry and except after consultation with the Central Government where such consultation is necessary :-	Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revising authority unless the employee concerned has been given a a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in Clauses (V) to (IX) of regulation 8 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in the said clauses; no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in regulation 10 and after giving a reasonable opportunity to the employee concerned of showing cause against the penalty proposed on the evidence adduced during the inquiry and except after consultation with the Central Government where such consultation is necessary :—	This amendment has been proposed as directed by the Ministry vide their letter No. I-27/2/86-PE. I, dt. 12th Nov. 1986.
		Provided further that no power of review shall be exercised by the Chairman, or any other authority specified in clause (iv) of sub-regulation (1) as the case may, be, unless :—	Provided further that no power of revise shall be exercised by the Chairman, or any other authority specified in clause (iv)of sub-regulation (1) as the case may be, unless:—	
		(i) the authority which made the order in appeal fit; or	(i) the authority which made the order in appeal or	
		(ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred, is sub-ordinate to him.	(ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred, i sub-ordinate to him.	
		(2) No proceeding for review shall be commenced until after—	(2) No proceedings for revise shall be commenced until after—	
		(i) the expiry of the period of limitation for an appeal ; or (ii) the disposal of the appeal where any such appeal has been preferred.	(i) the expiry of the period of intimation for an appeal; of (ii) the disposal of the appeal where any such appeal has been preferred.	This amendment has been proposed as directed by the Ministry vide their letter No. I-27/2/86 P.E.I, dt. 12th Nov. 1986
		(3) An application for review shall be dealt with in the same manner as if it where an appeal under these regulations.	(3) An application for revise shall be dealt within the same manner as if it where an appeal under these regulations.	

1	2	3	4	5
			29 – A Review : The Central Government may, at any time, either on its own motion or otherwise review any order passed under these regulations, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought to its notice. Provided that no orde imposing o enhancing any penalty shall be made by the Central Government unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in Regulation 8 or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the major penalties and if an enquiry under Regulation 10 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after enquiring in the manner laid down in regulation 10 subject to the provision of Regulation 15.	
Regulation	31	Power to relax time limit and Condone delay :—Save as otherwise expressly provided in these regulations, the authority Competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if, sufficient cause is shown, extent the time specified in these regulations for anything required to be done under these regulations or condone any delay.	31. Power to relax time limit and condone delay — Save as otherwise expressly provided in these regulations the authority competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if, sufficient casue is shown, extend the time specified in these regulations for anything required to be done under these regulations or condone any delay.	This amendment has been proposed as directed by the Ministry vide their letter No. I-27/2/86-PE-I dt. 12th Nov. 1986.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992